

भारत में महिलाओं की स्थिति : विविध आयाम

◎ राम आशीष श्रीवास्तव

मनोज कुमार राव

❖ Publisher :

Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.

Limbaganesh, Dist. Beed (Maharashtra)

Pin-431126, vidyawarta@gmail.com

❖ Printed by :

Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.

Limbaganesh, Dist. Beed, Pin-431126

www.vidyawarta.com

❖ Page design & Cover :

H.P. Office (Source by Google)

❖ Edition: April 2022

ISBN 978-93-92584-22-0

❖ Price : 200/-



All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, electronic mechanical, recording, scanning or otherwise, without the prior written permission of the copyright owner. Responsibility for the facts stated, opinions expressed. Conclusions reached and plagiarism, if any, in this volume is entirely that of the Author. The Publisher bears no responsibility for them. What so ever Disputes, if any shall be decided by the court at Beed (Maharashtra, India)

13

महिला सशक्तिकरण में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका

माधवेन्द्र तिवारी

सहायक प्राध्यापक (विधि)

गजीब गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर (छ.ग.)

अभिषेक दुबे

अतिथि व्याख्याता

गजीब गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर (छ.ग.)

महिला शक्तिकरण वर्तमान मानव समाज की एक प्रमुख आवश्यकता है क्यों कि यह सर्वविदित है कि किसी भी राष्ट्र की जनसम्भवा में महिलाओं की हिस्सेदारी आधे के बराबर है अतः इनके विकास व सशक्तिकरण की अनदेखी कर समाज व राष्ट्र का विकास सम्भव नहीं है। भारत जैसे राष्ट्र में यह आवश्यकता और प्रभावी हो जानी है क्योंकि प्रानीन काल से ही महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी एवं परम्परागत सोच ने महिलाओं की दशा अत्यन्त दयनीय बना दिया है सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रनिवन्धों के कारण महिलाये विकास प्रक्रिया में पूर्णतः सम्मलित नहीं हो पाती जिसके कारण उनके समग्र विकास पर प्रभाव पड़ता है और उन्हें विभिन्न स्तरों पर शोषण संघर्ष व कठिनाईयों सामना करना पड़ता है।

स्वतंत्रता परन्नात् भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया। विधि निर्माताओं ने संविधान में उन्हें अनेक

अधिकार प्रदान किया तथा अन्य निभानों के माध्यम से उन्हें समानता की स्थिति में लाने व उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास किया महिला सशक्तिकरण में यसकार के इन प्रयासों के माध्यम से यसकारी गंगठनों ने भी आपने स्वर से निरन्तर प्रयास किये हैं और महिलाओं को संगठित कर उनके शमताओं का विकास किया तथा उन्हें सशक्त बनाने हेतु नये—नये उपाय को अपना कर समाज के न्यूनतम स्वर तक महिला सशक्तिकरण प्रक्रिया को पहुँचाने का कार्य किया है।

प्रस्तुत शोध पत्र में महिलासशक्तिकरण की अवधारणा एवं क्रियाकलापों का विश्लेषण करते हुये उम्मे गैर यसकारी गंगठनों की भूमिका का विश्लेषण किया गया है।

महिला सशक्तिकरण :—

अर्थ :— महिला सशक्तिकरण से आशय एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया से है जिससे महिलाओं को समग्र विकास के नये अवसर प्रदान किया जाता है, उनके शक्ति व सामर्थ्यों को संगठित कर उन्हें स्वावलम्बी बनाया जाता है। सशक्तिकरण पुनः सशक्त बनाने से सम्बन्धित कार्य है जिससे आत्मनिर्भरता व आत्मविश्वास की प्राप्ति सम्भव होती है। दुसरे शब्दों में वर्णन करें तो महिला सशक्तिकरण वह प्रक्रिया है जिससे महिलाओं को उनकी शक्ति, शमता व सामर्थ्य का पुनः अहसास करवाया जाता है और उन्हें सशक्त — सक्षम बना कर उनको उनके जीवन के प्रति आत्मनिर्भर बनाया जाता है। ताकि वे पूर्ण स्वतंत्रता व सक्षमता से अपने जीवन लक्ष्यों को पूर्ण कर पूर्ण प्रभावशाली ढंग से जीवन यापन कर सकें।

महिला सशक्तिकरण महिलाओं को विकास के अवसर प्रदान करता है तथा उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक व सजग बना कर उन्हें चयन निर्णय का अधिकार प्रदान करता है ताकि महिला अपने जीवन लक्ष्यों का निर्णय स्वयं कर सके तथा पूर्ण स्वावलम्बन से उन्हें प्राप्त करने हेतु उनकाद्यायी एवं निर्भर बन गके सशक्तिकरण की यह प्रक्रिया उन्हें मध्यकालीन रूढ़ीगत, परम्परागत सोन विचार व प्रतिवर्षों को तोड़ने उससे बाहर निकालने में सक्षमता प्रदान करता है।

और आधुनिक विश्व के माध्यम के क्रम में क्रम मिला कर बदलने की शक्ति प्रदान करता है। महिला सशक्तिकरण मात्र स्वैच्छनिक व सजनैतिक अधिकारों से ही नहीं वाचिक सामाजिक, सांख्यिक, आर्थिक व परिचारिक अधिकारों को प्रदान करता है एवं उसके प्रति जागरूक भी बनाता है ताकि पुरुषों के माध्यम सहिलाये भी समाज व राष्ट्र के विकास में सहभागी बन सके तथा अपने हितों के प्रति संशयक नहीं रह सकें।

आखिर महिला सशक्तिकरण का अर्थ सामाजिक व सजनैतिक समानता बनाना के माध्यम अवधारणा व सुविधा की समान उपलब्धता एवं भागीदारी के माध्यम से, सम्भाल व अधिकारों के प्रति जागरूकता एवं सजगता ये हैं।

यह सशक्तिकरण लोकतंत्र कल्याणकारी गत्य एवं सामाजिक व्याय जैसे लक्ष्यों को प्राप्त करने का माध्यम है जो राष्ट्र के आधी आवादी की दशा एवं दिशा को मनाना है और विकास की प्रक्रिया में सम्मिलित करताहै और महिलाओं के समान गरिमा योग्यता में सम्बर्धन कर उनके आत्मशक्ति को विकसित करता है।

महिला सशक्तिकरण के कुछ प्रमुख विशेषतायें या आधार हैं जिनकी सहायता से हम महिला सशक्तिकरण को सहजाना से समझ सकते हैं इनमें

- १) महिलाओं की उन्नत एवं सकारात्मक दृष्टि, गरिमा एवं सम्मान
- २) महिलाओं में आत्म-निर्भता, आत्म सम्मान व आत्म विश्वास की भावना
- ३) विकल्पों का चयन निर्णय लेने की स्वतंत्रता व शमना का विकास
- ४) समग्र विकास में समान भागीदारी
- ५) स्वैच्छनिक व सजनैतिक आधिकारों की समझ एवं उसके प्रति जागरूकता शामिल है।

वर्तमान लोकतात्त्विक राष्ट्र व कल्याणकारी गत्यों में महिला सशक्तिकरण एक ज्ञालंत विषय है। जो १८ वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से ही प्रारम्भ हो चुका था। मानव इतिहास के इस समयकाल से ही नारी अस्मिन्ता व गरिमा को पुरुषों के समान मानने व उन्हें समान

बानाने की मांग उठती रही है इंग्लैन्ड की मेरी वोलस्टोनक्राफट ने १७९३ ये अपनी प्रसिद्ध प्रस्तुक विन्डीकेंगन ऑफ द राइस ऑफ वुमें में महिला सशक्तिकरण के पक्ष में प्रथम बार विचार प्रस्तुत किय थे। १८६९ में जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी अपने पुस्तक सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में पुरुषों के वर्त्तव की स्वीकार्यता से अत्याचार मान्यताओं, संस्कारी रूढियों पर पञ्च चिन्ह लगाते हुए सदियों से हो रहे शोषण व अर्थाचारों का विरोध किया था और स्त्री — पुरुष के बीच पूर्ण समानता का समर्थप किया। इतिहास के इसी समयकाल से दुनिया भर में महिलाओं के प्रति समानता व उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता आयी। भारत में भी महिला सशक्तिकरण के प्रयास प्राचीन कालों से ही विभिन्न विद्वानों द्वारा किया जाता रहा है भारतीय मनीशी स्वामी विवेकानन्द का यह कथन महिला सशक्तिकरण के लिए सत्य प्रतिति होता है कि महिलाओं की स्थिति में सुधार के बिना दुनिया का कल्याण सम्भव नहीं है। विवेकानन्द जी के ये विचार महिला सशक्तिकरण के महत्व को प्रदर्शित करता है गौधी जी ने भी महिला सशक्तिकरण के महत्वों का वर्णन करते हुए कहा है कि मानसिक क्षमता या अन्य किसी भी मायने में नारी पुरुषों से कम नहीं है बल्कि कह मायनों में तो पुरुषों से श्रेष्ठ है गौधी जी ने अपने अनेक सामाजिक — राजनैतिक कार्यक्रमों में महिलाओं को सलाह दिया कि वे अपने को पुरुषों से कम न समझें तथा अपने ऊपर अवाञ्छित सामाजिक दबाव या प्रतिबंधों का वाहिकार करें, पुरुष व नारी के अधिकार समान है। यदि पुरुष देवता है तो नारी भी देवी है।

इस प्रकार महिला सशक्तिकरण महिलाओं को परम्परागत रूढियों, प्रतिबन्धों, अवाञ्छित सामाजिक दबावों से मुक्त करने तथा उनके खोये हुए सम्मान गरिमा व अस्तित्व को पुनः प्राप्त करनेका मार्ग है। जिससे नारी भयमुक्त हो कर पूरी क्षमता, शक्ति वसामर्थ्य से विकास प्रक्रियामें सहभागी हो सके और आपने जीवन हेतु निर्णय करने में सक्षम हो सके महिला सशक्तिकरण महिला में सबलता स्वावलम्बन व आनंद विश्वास का प्रतीक है जो उसके समग्र विकास का साधन है।

महिला सशक्तिकरण का महत्व :-

मूलतः महिलासशक्तिकरण महिलाओं के आनंदिक बाह्य क्षमताओं के संर्वधन की एक प्रक्रिया है। जो उसमें आत्मनिर्भरता व आत्मविश्वास का विकास कर उसे सुख्म व प्रभावशाली बनाता है जिससे महिला आपनी क्षमताओं को संगठित कर अपने को सशक्त बनाती है। और अपने जीवन लक्ष्यों को प्राप्त करने में स्वयं को मजबूत बनाती है।

महिला सशक्तिकरण के महत्व की विवेचना हम कुछ प्रमुख बिन्दुओं के आधार पर प्रस्तुत कर सकते हैं—

(१) महिला सशक्तिकरण महिलाओं के अपने ऊपर प्राचीन व मध्यकालीन प्रतिबंधों, अपनी असामान्य सामाजिक स्तर परम्परा प्रथा रुद्धियों से मुक्त होने, अपने खोये हुए सम्मान व स्तर को पुनः प्राप्त करने का तरीका है।

(२) महिला सशक्तिकरण समाज या विश्व में व्याप्त असमानता, भेदभाव, शोषण, अत्याचार व पुरुष सत्ता के नियंत्रणों से मुक्त होकर समानता स्वतंत्रता प्राप्त करने एवं आने गरिमा सम्मान एवं अस्तित्व की रक्षा का एक प्रमुख व प्रभावी मार्ग है।

(३) महिला सशक्तिकरण अपनी प्रक्रिया से महिलाओं के आत्मविश्वास को जागरूत करता है उन्हे सामाजिक दबाव व पुरुषों के पराधिनता की बेड़ियों को तोड़ने व अपने को आत्मनिर्भर स्वावलम्बी बनाने की प्रक्रिया है।

(४) महिला सशक्तिकरण से महिलाओं का अधिकतम व वह—आयामी विकास होता है। महिलाओं को सामाजिक आर्थिक गजनीतिक व पारिवारिक क्षेत्र में स्वतंत्रता व समानता के अधिकार प्राप्त होते हैं जिससे वे अपने विकास को सम्भव बनाकर पुरुषों के साथ कधि से कंधा मिलाकर जीवन यापन कर सकती है।

(५) महिला सशक्तिकरण प्रक्रिया से महिला अपने विविध प्रकार के अधिकारों के प्रति सजग व जागरूक होती है और इन अधिकारों प्रयोग से अपने जीवन को संवारने का कार्य पूर्ण आत्मविश्वास से करती है।

(६) महिला सशक्तिकरण महिलाओं को निर्णय लेने में समर्थम बनाता है। ऐसे निर्णय उसके जीवन आयाम से सम्बन्धित होते हैं जिसमें वह अपने हितों व आवश्यकताओं के अनुरूप निर्णय लेकर अपने हितों की प्रतिपूर्ति करती है।

(७) महिला सशक्तिकरण का सबसे व्यापक महत्व महिलाओं को उनकी शक्ति व क्षमता का अहमाय करवाने उन्हें समग्र रूप में सशक्ति व सतुलित बनाने में है। जिसमें महिला पूरीक्षमता में विकास प्रक्रिया में भागीदार बनती है और अपने वैयक्तिक विकास के साथ समाज व राष्ट्र के विकास मेंभी सहयोग करती है।

(८) महिला सशक्तिकरण समानता सामाजिक न्याय तथा कल्याण कारी राज्य जैसे उच्च आदर्शों व मूल्यों के स्थापना का प्रमुख साधन है जिससे समाज व राष्ट्र का सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक विकास को भी बल मिलता है।

(९) महिला सशक्तिकरण सामाजिक बदलाव या परिवर्तन का भी एक प्रमुख साधन है जिसमें सामाजिक मान्यता व परम्परा में बदलाव होता है और ऐसे सामाजिक नियम जो मियों को नियांत्रित व प्रतिबंधित करते हो उन पर आयोग्यता लागाते हो उनमें महिला सशक्तिकरण से परिवर्तन व सुधार सम्भव होता है।

(१०) महिला सशक्तिकरण महिलाओं को अनेकों मुविधायें व अवसरों को प्राप्त करने एवं उससे अपने विकास को सम्भव बनाने का अवमर देता है। सशक्तिकरण से महिलाओं में चेतना, जागरूकता आती है एवं उनमें आत्मविद्वास आत्मनिर्णय की क्षमता विकसित होती है जो उनमें गुणात्मक परिवर्तन लाती है।

राष्ट्र है आज प्रत्येक राष्ट्र के विकास हेतु महिला सशक्तिकरण एक प्रमुख आवश्यकता बन गयी है। प्रत्येक राष्ट्र इसके लिए विविध मार्ग से प्रयासरत भी है ताकि राष्ट्र के आधी जनसंख्या की शक्ति व क्षमता को सशक्ति बनाकर उसका उपयोग राष्ट्र के विकास

को वास्तविक बनाया जा सके।

महिला सशक्तिकरण में प्रमुख अवरोध :-

महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया या क्रियाकलाप को प्रभावित करने में कुछ अवरोधक सदैव प्रकट होते हैं जिन्हे हम निम्न रूप से वर्णित कर सकते हैं:-

- (१) महिला सशक्तिकरण जैसी प्रक्रिया व क्रियाकलाप के सन्दर्भ में महिलाओं में ज्ञान व जागरूकता की कमी एक प्रमुख अवरोधक प्रकट होता है।
- (२) महिलाओं में आत्मचेतना आत्मविश्वास की कमी भी एक अवरोध का कार्य करती है।
- (३) महिला सशक्तिकरण हेतु सामूहिक संगठन व जागरूकता आवश्यक है जिसकी कमी सशक्तिकरण प्रक्रिया को प्रभावित करती है।
- (४) समाज में व्याप्त पुरुष सत्ता व प्रधानता, सामाजिक कुर्गिति व नियम सदैव सबसे बड़े अवरोधक के रूप में प्रकट होते हैं।
- (५) महिलाओं में अशिक्षा, कौशल, गरीबी, बेरोजागारी, आर्थिक पराधिनता एवं अनुभवहीनता भी महिला सशक्तिकरण प्रक्रिया को प्रभावित करता है।
- (६) महिलाओं में आत्ममम्मान, गौण्ड गरीमा व अस्मिता के प्रति समझ व चेतना की कमी भी एक बड़े अवरोधक के रूप में प्रकट होती है।
- (७) संविधानिक अधिकार कानूनी व राजनीतिक अधिकार के प्रति अजागरूकता या उनके व्यवहारिक प्रयोग के प्रति असमझ भी महिलाओं को प्रभावित करता है तथा उनके सशक्तिकरण को प्रभावित करता है।
- (८) महिलाओं के शोषण, उत्पीड़न व अत्याचार के प्रति चुप रहने उपर्युक्त हुये उनके प्रति अनुकूलित रहने की प्रवृत्ति भी बड़े अवरोध के रूप में प्रकट होती है।
- (९) सामाजिक धार्मिक अयोग्यता, वधन व प्रतिवध भी महिलाओं

के उन्धान व मणिकृतकरण को प्रभावित करता है।

(१०) आन्धर्निर्भरता की कमी व निर्णय न लेने की क्षमता भी एक बड़ी वादा है।

(११) महिलाओं को गोजगार व्यवसाय को पर्याप्त अस्वतंत्रता, आर्थिक गतिविधियों में पुरुषों का वर्यन्वय महिला शमिकितकरण प्रक्रिया में एक बड़ी वादा के साथ में प्रकट होता है।

(१२) सरकारी योजना आर्थिक, समाजिक व गजनीतिक प्रगमणों का व्याप्तिविक स्तर पर क्रियान्वयन में असफलता व आधिकारों तथा विभिन्न नियम अधिनियम का प्रत्यक्ष लाभ न मिल पाना भी एक प्रमुख वादा है।

स्पष्टता: महिला मणिकृतकरण के प्रायोगों में अनेक वादा व अवगेध सदैव प्रकट होते हैं जो टेपकाल परिस्थितियों के अनुरूप भिन्न भिन्न हो सकते हैं। परन्तु ऐसे अवगेध मणिकृतकरण के मार्ग में सदैव उसे विचारित व प्रभावित करने का प्रयास करते हैं जिसका निश्चिरण आवश्यक है। ताकि महिलाओं को साधि व प्रभावी ढंग में युविधा प्रदान कर उनके मणिकृतकरण को सम्भव बनाया जा सके।

गैर सरकारी संगठन :—

गैर सरकारी संगठन मानव व समाज के विकास में केन्द्रित ऐसे संगठन हैं जो अपने अनोखे व आधुनिक उपायों से विकास प्रक्रिया एवं समस्या के समाधान में सहयोग प्रदान करते हैं। ऐसे संगठन समाज के न्यूनतम स्तर तक अपनी सेवा को पहुँचाते हैं और जन कल्याण हेतु निरन्तर प्रयासरत रहते हैं।

गैर सरकारी संगठन मूलतः सरकारी विधानों में पंजीकृत सोसाइटी, संस्था या संगठन मानव का एक संगठित समूह है जो अपने निर्धारित उद्देश्य हेतु कार्यक्रम करते हैं। ऐसे संगठनों के अपने साधन व समाधान होते हैं जिनका प्रयोग विना किसी लाभ के उद्देश्यों को सबते हुए सामाजिक कल्याण में करते हैं।

विश्व बैंक गैर सरकारी संगठनों को परिभाषित करते हुए कहता है कि गैर सरकारी संगठन एक निजी संगठन है जो लोगों का

दुष्कर्ता—दर्द दूर करने निश्चयों के हितों का समर्थन करने, पर्यावरण की सुधा करने बुनियादी सामाजिक सेवाये प्रशंसन करने अथवा सामूहिक विकास के लिए यातिविधियाँ घरनाते हैं।

डेविड एल. सिल्स कहते हैं कि गैर सरकारी संगठन इसके सदस्यों के कुछेक सामान्य हितों की प्राप्ति हेतु राज्य नियंत्रण के बिना स्वैच्छिक सहायता के आधार पर संगठित व्यक्तियों का समृह है। स्पष्टत गैर सरकारी संगठन व्यक्तियों का एक संगठित समृह या संगठन है जो सरकारी नियंत्रण या हस्तक्षेप के बिना अपने निर्धारित उद्देश्यों हेतु विधानों में पंजीकृत होता है और अलाभकारी उद्देश्यों के अधार पर अपने लक्ष्य को पूरा करता है ऐसे संगठनों का लक्ष्य सामाजिक विकास व मानव कल्याण मात्र होता है। जो अपने सिमित समाधनों से मानव के सेवा हेतु प्रबिद्ध होता है। गैर सरकारी संगठनों के स्वरूप एवं विशेषताओं की गहनता से विश्लेषण करे तो इसके अर्थ को अधिक विस्तृत ढांग से समझ सकते हैं जिन्हे हम निम्न बिन्दुओं के आधार पर प्रकट कर सकते हैं।

- (१) गैर सरकारी संगठन ऐसे मानव का समृह है जिसके सदस्य एक निश्चित उद्देश्यों में विवास रखते हैं तथा सहभागी प्रयासों से निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं।
- (२) गैर सरकारी संगठन सरकारी नियंत्रण से मुक्त एक स्वामी निकाय के रूप में कार्य करता है हॉलाकि इन संगठनों का पंजीकरण किसी निश्चित विधि के अंतर्गत अवश्यक होता है परन्तु ये अपने योजना निमय व कार्यक्रम बनाने के लिए स्वतंत्र होते हैं।
- (३) गैर सरकारी संगठन सदैव अलाभकारी प्रवृत्ति के होते हैं। अर्थात् इनका उदाय लाभ कमाना या धनोपार्जन नहीं होता है।
- (४) गैर सरकारी संगठन अपने आर्थिक स्रोत व संसाधन की व्यवस्था गव्य करते हैं और इन्हीं स्रोतों के माध्यम से अपने कार्यक्रमों की पूरा करते हैं।
- (५) गैर सरकारी संगठन अपने पंजीकरण के दौरान कुछ उद्देश्य निर्धारित करते हैं जिनके लिए अपने कार्यक्रमों का संगालन करते हैं।

ऐसे उद्देश्य सेवा व कल्याण होता है जो समाज एक गप्ट के विकास में सहयोगी होता है।

स्पष्ट है गैर सरकारी संगठन एक पंजीकृत स्वशासी निकाय है जो मानव कल्याण एवं विकास के लिए संगठित प्रयास करता है और पूर्ण स्वतंत्रता व सक्षमता से अपने लक्ष्यों का प्राप्त करने का प्रयास करता है।

महिला सशक्तिकरण में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका:-

जैसा की स्वैच्छिक है कि गैर सरकारी संगठन सदैव अपने स्तर से मानव एवं समाज के काम हेतु कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठन हैं ऐसे संगठन समाज की संगचना एवं विकास प्रक्रिया में व्याप्त अवगेभ एवं कठिनाईयों के निवारण हेतु प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं और अपने नवीन ज्ञान दृष्टिकोण व उपायों के प्रयोग से समाज में समानता न्याय और उन्नति के लिए कार्य करते हैं।

समाज की आधी आवादी जो विभिन्न कारणों से विकास प्रक्रिया में सहभागी नहीं हो पा रही है तथा अपने स्थितियों में चुट—चुट कर जीवन यापन कर रही है उन्हे उनके शक्ति का पुनः एहसास करवाने में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका सदैव अग्रणी है। हालांकि वैधानिक व सरकारी प्रयास भी महिला सशक्तिकरण के लिए अवश्य किये जा रहे हैं परन्तु ऐसे प्रयास व कार्यक्रम समाज के प्रत्येक स्तर तक पहुँचाने में निष्प्रभावी सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे में महिलाओं का उत्थान व उसके सशक्तिकरण के प्रयासों को जमीन स्तर तक पहुँचाने व उन्हे प्रभावी तरिके से फलीभूत करने में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

गैर सरकारी संगठनों का समाज एवं समुदाय से सम्बन्ध अत्यन्त प्रभावी व प्रत्यक्ष होता है ऐसे संगठन लोगों के साथ मिल जुल कर ही कार्य करते हैं और अपनी सेवा—सुविधा या योजना को सीधे तौर पर समाज में लागू करते हैं जिसमें इनकी छवि व प्रतिष्ठा समाज में अत्यन्त प्रभावशाली होता है। गैर सरकारी संगठन अपने इन्हीं सम्बन्धों के आधार पर समाज में महिलाओं के उत्थान व

सशक्तिकरण के लिए कार्य करते हैं और महिलाओं को असमानता अन्याय व उत्पीड़न से निकालने का प्रयास करते हैं।

गैर सरकारी संगठन महिला सशक्तिकरण हेतु समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हैं और महिलाओं से सम्बधित प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर उन्हे पक्षितपाली एवं सामर्थ्यवान बनाने का कार्य करते हैं जिसके लिए मुख्यतः सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक क्षेत्रों में आवश्यक सहयोग व जागरूकता प्रदान कर उन्हे आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने का कार्य करते हैं। गैर सरकारी संगठनों द्वारा सशक्तिकरण के क्रियाकलापों में मुख्यतः जागरूकता व चेतना, शिक्षण प्रशिक्षण, कानूनी सहयोग, संगठन एवं सहभागीता जैसी सुविधाओं को प्रदान किया जाता है ताकि उनमें अपनी स्थिति, परिस्थिति के प्रति सजगता आये और वे स्वयं आत्मनिर्भर बनकर सकारात्मक बदलाव की ओर अग्रसर हो सकें। साथ ही गैर सरकारी संगठन सामाजिक नियमों परंपराओं प्रथा व रुद्धियों में परिवर्तन लाते हैं जो महिला सशक्तिकरण व कल्याण के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं।

महिला सशक्तिकरण में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका का वर्णन अधिक बेहतर ढंग से करते हुए इनकी भूमिका को हम निम्नलिखित विन्दुओं के आधार पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

(१) समाज की समग्र संरचना में व्याप्त भेदभाव असमानता व अन्याय को समाप्त करने में गैर सरकारी संगठन समाज में निस्तर जागरूकता व चेतना का प्रवाह करते हैं। ताकि समाज स्वयं ऐसे कुर्गितियों रुद्धियों प्रथाओं में परिवर्तन हेतु अग्रसर हो।

(२) महिलाओं को उनकी आत्मशक्ति क्षमता व सामर्थ्य की पहचान गैर सरकारी संगठन प्रभावी ढंग से करवाते हैं और उनमें आत्मनेनना व आत्मनिश्चाय का संचार करते हैं।

(३) गैर सरकारी संगठन महिलाओं को उनके गरीमा सम्मान व अस्तित्व के प्रति नयी चेतना प्रदान करते हैं जिससे महिलाओं में परिवर्तन व सुधार के नये दृष्टिकोण प्राप्त होता है।

(४) गैर सरकारी संगठन महिलाओं के उनके हितों व अधिकारों के

प्रति जागरूक बनाते हैं और उन्हें प्राप्त अधिकारों के व्यवहारिक प्रयोग के प्रति रामदण्ड भी विकसीत करते हैं।

(५) गैर सरकारी संगठन महिलाओं को महिलाओं को समर्पित प्रकार के शोषण उत्पीड़न अयोग्यता व बंधनों से मुक्त बनाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं।

(६) गैर सरकारी संगठन महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के महत्व व आवश्यकता के प्रति जागरूक बनाते हैं और उन्हें अपनी शक्ति को संगठित करने में सहयोग देते हैं।

(७) महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व धार्मिक स्वतंत्रता व समानता प्राप्त करने तथा पुरुषों के समान स्वीकृति व मान्यता प्राप्त करने में गैर सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

(८) गैर सरकारी संगठन महिलाओं को शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान कर उनमें कौशल व गुणों का विकास करते हैं जिससे महिलाओं के दशा में गुणात्मक परिवर्तन आये और वे आत्मनिर्भर व स्वावलम्बी बन सकें।

(९) गैर सरकारी संगठन महिला सशक्तिकरण व कल्याण हेतु सभी सरकारी योजना व कार्यक्रम को समाज के न्यूनतम स्तर पर मौजुद महिला को प्राप्त करमें में सहयोग प्रदान करते हैं जिससे महिला उत्थान व कल्याण की सभी योजना सफल हो सके।

(१०) गैर सरकारी संगठन महिलाओं को उनके हितों के प्रति इतना मजबूत बनाते हैं कि वे स्वयं अपने जीवन विकल्पों का पहचान कर सबसे योग्यताम् निर्णयों को लेने में सक्षम बन सकें।

(११) गैर सरकारी संगठन महिलाओं हेतु विभिन्न प्रकार के समुह संगठ निर्मित करते हैं जिसमें महिलायें परस्पर सहभागी बन के अपने सामूहिक शक्ति को संगठित करती हैं और अपने जीवन आयोगों में व्याप्त विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निराकरण अपने सामूहिक शक्ति से सम्भव बनाती है।

(१२) गैर सरकारी संगठन महिला सशक्तिकरण के विषय पर विभिन्न प्रकार के बैठक संगोष्ठी सेमीनार जैसे अनेक कार्यक्रम

प्रतीक्षित कर अंतिकालीन वाचनालयमें वाचनालय उपलेख के सम्बन्ध
में यह एक प्रश्न है कि यह एक विभाषित विभाषि करता है।

(२५) ये वाचनालय वाचनालय अंतिकालीन के वाचनालय के सम्बन्ध
में वाचनालय को वाचनालय — वाचनालय को वाचनालय बताता है तथा अंतिकालीन
के विभाषि में वाचनालय उपलेख विभाषि वाचनालय के वाचनालय वाचनालय के विभा-
षण अंतिकालीन करता है विभाषण वाचनालय के जी इस विभाषि के अंति-
कालीन वाचनालय करता है।

(२६) ये वाचनालय वाचनालय अंतिकालीन के विभाषण अंतिकालीन की वाचनालय
विभाषालय को कर अंतिकालीन का वाचिक वाचनालय वाचनालय के
विभाषण अंतिकालीन करता है तथा यह वाचनालय को वाचनालय बताता है
विभाषण विभाषण के वाचनालय को अंतिकालीन करता है।

इसके द्वारा अंतिकालीन के उपलेख के वाचनालय के वाचनालय
विभाषण अंतिकालीन को है यह वाचनालय की अंतिकालीन विभाषण
विभाषण को है अब इसके बाहर काही वाचनालय वाचनालय अंतिकालीन को है
विभाषण वाचनालय को विभाषण अंतिकालीन के विभाषण वाचनालय के विभाषण
के अंतिकालीन के वाचनालय के विभाषण अंतिकालीन के वाचनालय के विभाषण
के अंतिकालीन के वाचनालय के विभाषण अंतिकालीन के वाचनालय के विभाषण है।

विभाषि की विभाषालिक के वाचनालय की वाचनालय को वाचनालय की वाचनालय की
वाचनालय विभाषि का विभाषण के वाचनालय वाचनालय अंतिकालीन को है जो कि
विभाषण विभाषण के वाचनालय के वाचनालय वाचनालय की वाचनालय की विभाषण
विभाषण के विभाषण विभाषण के वाचनालय की विभाषण है जो वाचन
विभाषण अंतिकालीन विभाषण के विभाषण को वाचन विभाषण के विभाषण
विभाषण विभाषण के वाचन विभाषण के विभाषण विभाषण के विभाषण विभाषण के
विभाषण विभाषण के वाचन विभाषण की वाचनालय वाचनालय है।

विभाषण अंतिकालीन वाचनालय के विभाषण वाचन के विभाषण द्वारा
विभाषण अंतिकालीन वाचनालय के विभाषण विभाषण है, विभाषण जी विभाषण विभाषण के
विभाषण विभाषण को कर अंतिकालीन वाचनालय के विभाषण विभाषण विभाषण

करते हैं परन्तु समाज के इस द्वारा नहिलालों के सम्बन्ध में विश्वासी हो जाती है या इनका वीनी गति से अवश्यकता की है तो यह में भावत्व व समाज के विकास व कल्याण के लिए निर्मित अधिनियम समाजसंघ यह यह समाजार्थी नहिलालों के साथ साथ उन्हें सम्बन्ध के साथ समाज के इन्हें यह में विश्वासी है समाज के नहिलालों को उनकी द्वितीय स्थिति से निकाल कर उन्हें सम्बन्ध के समाजसंघ विनाश कर उनके उपर्युक्ति के आनन्दविषयक से अग्रिमत लगवा कर उन्हें स्वावलम्बी व आनंद दिया करनाहै।

नहिलाल समाजिक संघ समाजार्थी विकास व विकास के साथ में सभी की आनीदर्शी भाववशक है विनाशक लिये यह समाजार्थी सम्बन्ध विनाश कल्याण करनी वा विकास सम्बन्ध में कठोर जाता है उनकी अधिक इनका सम्बन्ध विनाशक हो जाती है।

संदर्भ सूची:-

- (१) गोपी, कृष्णन (२००८) नहिला समाजार्थीकरण सम्बन्धीय, प्रकाशन विभाग, नूबना और प्रसारण समाजिक संघ, भारत।
- (२) गोपी, चंद्रिका कृष्ण (२०१२) नहिला गविल एवं नारी उत्थान, सम्बन्ध प्रकाशन, वाराण्सी।
- (३) गोपी, चंद्रिका (२००८) नहिला समाजार्थीकरण - दूसरा और द्वितीय, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन।
- (४) गृहस्थ, परमार्थी (२०१६) भारत में नहिलालों की सामाजिक इकाई लियत, कृष्णगढ़, दिल्ली।
- (५) गृहस्थ, दूषा अह (२०१८) नहिलालों का आर्थिक समाजार्थीकरण, योगदान, लियत।
- (६) गोपी, इरा (२००८) नहिला लैगिक अन्तरालता एवं अवधार, अंतर्राष्ट्रीय लियत्रिम्बुद्धि, वाराण्सी।
- (७) द्विंदी, गोपी (२००८) नहिला समाजार्थीकरण - चनौतीसी दूसरा सार्वानन्दि, वृत्तीया प्रकाशन चंद्रिका।